AITE 2018

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / तक–1 /01 भोपाल, दिनांक : 1-1-2018

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय नोडल अधिकारी,
म.प्र. AITE 2018

विषयः– All India Tiger Estimation 2018 के अंतर्गत स्वयंसेवकों की भागीदारी।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र. 7690 दिनांक 21.11.2017.

ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन 2018 हेतु मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत फेस–1 के डेटा कलेक्शन कार्यों के दौरान पारदर्शिता निर्मित करने की दृष्टि से, जन सामान्य में वन्यप्राणी प्रबंधन विषयों में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एवं एकत्र किये गये आंकड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इच्छुक स्थानीय नागरिकों, शिक्षकों, कॉलेज के छात्र– छात्राओं तथा वन्यप्राणी आंकलन में रूचि रखने वाले भारत के नागरिकों को स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया जाना है।

प्रत्येक जोन एवं जोन के अंतर्गत वनमंडलों / परिक्षेत्रों हेतु स्वयंसेवकों की अधिकतम संख्या का निर्धारण करते समय आवेदनकर्ताओं की रूचि, स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता, प्रबंधकीय क्षमताओं / आवश्यकताओं को ध्यान में रखें एवं क्षेत्रीय अधिकारियों से चर्चा उपरांत ही प्रत्येक वनमंडल हेतु परिक्षेत्रवार स्वयंसेवकों की अधिकतम संख्या का निर्धारण करें।

स्वयंसेवकों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय मीडिया एवं सोशल मीडिया में प्रचार–प्रसार कर हर वर्ग के इच्छुक भारतीय नागरिकों से आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। किन्तु अन्तिम रूप से स्वयंसेवकों का चयन करते समय समस्त आवेदनकर्ताओं में से ऐसे आवेदनकर्ताओं का ही चयन करें जो वन क्षेत्रों में जाकर बीट मुख्यालय में न्यूनतम संभव सुविधाओं में 4 / 7 दिवस तक लगातार निवास कर सकने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हों। सामान्यतः स्वयंसेवकों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक श्रेणी के कुछ स्वयंसेवकों को प्रत्येक वनमंडल में अवश्य शामिल करने का प्रयास करें।

1. प्रदेश के विभिन्न जिलों के कॉलेज में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस आदि से जुड़े युवा जो वन्यप्राणी विषयों में जागरूकता रखते हैं तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ आंकलन वर्ष 2018 फेस–1 गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहते हैं।
2. प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत प्रोफेशनल्स (शिक्षक, इंजीनियर्स, मीडियाकर्मी, वकील, शासकीय कर्मचारी, डॉक्टर आदि) जो वन्यप्राणी विषयों में जागरूकता रखते हैं तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ आंकलन वर्ष 2018 फेस–1 गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहते हैं।
3. भारत के अन्य राज्यों में निवासरत भारतीय नागरिक जो वन्यप्राणी विषयों में जागरूकता रखते हैं तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ आंकलन वर्ष 2018 फेस–1 गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहते हैं।

फेस–1 के 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम 3 दिवस मांसाहारी वन्यप्राणियों के अप्रत्यक्ष उपस्थिति प्रमाण चिन्ह आदि एकत्र किये जाने हैं। स्वयंसेवकों की भागीदारी मुख्यतः इन्हीं 3 दिवसों में होगी। अगले 3 दिवस जब ट्रांज़ेक्ट लाइन पर चल कर वन्यप्राणियों के प्रत्यक्ष दर्शन संबंधी आंकड़े जुटाए जाएंगे तब गणना कार्य प्रभावित होने की संभावना के कारण कान्हा में आयोजित टीओटी प्रशिक्षण के दौरान भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार शामिल हो रहे / वन परिस्थितियों से अनभिज्ञ आदि स्वयंसेवकों को शामिल न करने बाबत् अनुरोध किया गया है। किन्तु यदि ऐसे स्वयंसेवक जिन्हें पूर्व में भी इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का पर्याप्त अनुभव हो एवं वे वन क्षेत्र में लगातार 7 दिवस ठहरने को तैयार हों तथा स्थानीय प्रबंधन का विश्वास हो कि ऐसे स्वयंसेवकों की

उपस्थिति से आंकड़ों की गुणवत्ता बेहतर हो सकेगी तो स्वयंसेवकों के अनुरोध पर उन्हें फेस–1 के संपूर्ण 7 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी जा सकेगी।

वर्ग–1 एवं 2 के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण क्षेत्रीय अमले के प्रशिक्षण के साथ अथवा किसी कॉलेज से 20 या अधिक संख्या में स्वयंसेवक होने पर कॉलेज परिसर में किया जा सकेगा। वर्ग–1 एवं वर्ग–3 के स्वयंसेवक देश के अन्य राज्यों से एवं प्रदेश के अन्य स्थलों से आवेंगे। अतः उनके लिये फेस–1 आंकलन के एक दिवस पूर्व ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होगा। स्वयंसेवकों हेतु सामान्य सूचना, आवेदन पत्र प्रारूप, नियम एवं हानिरक्षा बंध पत्र का प्रारूप संलग्न है। कृपया समस्त स्वयंसेवकों को हानिरक्षा बंधपत्र (Indemnity Bond Form) भरने के पश्चात् ही आंकलन में शामिल करें। स्वयंसेवकों की सुरक्षा एवं आंकलन कार्यों की गुणवत्ता की दृष्टि से समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करवाते हुए अनुशासन निर्मित किया जाना सुनिश्चित करें।

1/1/2018

(आलोक कुमार)
नोडल अधिकारी (AITE 2018) एवं
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी),
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / 02.   भोपाल, दिनांक 1-1-2018

प्रतिलिपिः
1. डॉ0 व्ही.बी. माथुर, डायरेक्टर, भारतीय वन्यजीव संस्थान पोस्ट बॉक्स नं. 18, चंद्रबनी, देहशादून
2. अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल.
3. श्री धर्मेन्द्र वर्मा, संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.
4. श्री अनीष अंधेरिया, प्रसीडेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट मुम्बई
5. श्री दीपांकर घोष, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया नई दिल्ली
6. समस्त क्षेत्रीय नोडल अधिकारी, AITE 2018 म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोडल अधिकारी (AITE 2018) एवं
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी),
मध्यप्रदेश, भोपाल

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय बाघ आंकलन वर्ष 2018 में स्वयंसेवकों हेतु सामान्य सूचना

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ आंकलन 2018 के अंतर्गत फेस–1 के अंतर्गत डेटा कलेक्शन कार्य 5 फरवरी 2018 से 26 मार्च 2018 के मध्य 4 अलग–अलग चक्रों में संपादित किया जाएगा। प्रत्येक चक्र के अंतर्गत सम्मिलित वनमंडल/संरक्षित क्षेत्र एवं आंकलन दिनांक संलग्न तालिका (संलग्न–1) में विस्तृत रूप से दर्ज है। भारत के नागरिक जो 18 वर्ष या अधिक आयु के हैं तथा वन्यप्राणी आंकलन कार्य के फेस–1 के अंतर्गत डेटा कलेक्शन कार्य में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें वन विभाग, मध्य प्रदेश डेटा कलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है।

स्वयं सेवक प्रत्येक चक्र के प्रथम 3 दिवसों (मांसाहारी प्राणियों के चिन्हों का आंकलन) में प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। स्थानीय प्रबंधन की आवश्यकताओं एवं क्षेत्र की विशिष्टताओं के आधार पर स्थानीय प्रबंधक अगले 3 दिवसों हेतु भी स्वयसेवक को आंकलन कार्य में सम्मिलित रहने की अनुमति दे सकेंगे बशर्ते स्वयंसेवक को पूर्व में इस प्रकार के कार्यों को करने का अनुभव हो एवं स्वयंसेवक स्वयं 7 दिवसों तक भाग लेने का अनुरोध करे।

आवेदक का वन क्षेत्रों की विपरीत परिस्थितियों में न्यूनतम 3/4 दिवसों तक निरंतर मुकाम करने एवं आंकलन कार्य के दौरान दुर्गत वन क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 10 कि.मी. पैदल चलने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य होगा। इच्छुक आवेदक (संलग्न–2) के आवेदन प्रारूप में संरक्षित क्षेत्रों के भारसाधक अधिकारी एवं क्षेत्रीय वनमंडलों के वनमंडल अधिकारी को ईमेल द्वारा आवेदन करेंगे। आवेदन करते समय आवेदन पत्र, में दर्ज प्रमाण पत्र आदि, स्वयंसेवकों के लिये नियम के पत्र एवं हानिरक्षा बंधपत्र पर हस्ताक्षर उपरांत स्केन कर ईमेल करेंगे। (प्रत्येक वनमंडल/संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी की ईमेल आईडी http://intranet.mpforest.org/publicdomain/Edirectory/AdvanceSearchPeople.aspx लिंक से प्राप्त की जा सकेगी।) अपूर्ण तथा समस्त दस्तावेजों के साथ न भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्वयंसेवकों को उनके निवास स्थल से उनको आवंटित कैम्प तक एवं लौटने का परिवहन व्यय स्वयं वहन करना होगा तथा आंकलन अवधि में भोजन आदि का व्यय भी स्वयं वहन करना होगा। आंकलन अवधि में स्वयंसेवक को आवंटित बीट में स्थानीय वनकर्मियों के साथ उनके आवास में ही ठहरना होगा तथा स्वयंसेवक को अपना स्लीपिंग बेग/बेडरोल स्वयं लाना होगा। आंकलन कार्य की प्रारंभिक तिथि से 2 दिवस पूर्व पहुंचकर उन्हें स्थानीय अधिकारियों को अपने आगमन की सूचना देनी होगी। आंकलन से एक दिवस पूर्व आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा तत्पश्चात् वे अगले 3 दिवस तक निरंतर उन्हें आवंटित बीट में रहकर आंकलन कार्य में भाग लेंगे और अगले दिवस पर लौट सकेंगे। आंकलन कार्य के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवक को आवंटित बीट में रहना होगा अतः यदि कुछ स्वयंसेवक दो या अधिक व्यक्तियों के दल में आएंगे तो भी उन्हें आकलन अवधि में अलग–अलग केम्पों में ही भेजा जाएगा तथा किस स्वयंसेवक को कौनसा बीट आवंटित करना है, यह निर्णय स्थानीय अधिकारियों का होगा एवं कोई स्वयंसेवक अपनी इच्छानुसार अन्य बीटों में नहीं जा सकेंगे।

जो स्वयंसेवक निरंतर तौर पर औषधि आदि का सेवन करते हों वे अपनी औषधियां साथ रखें एवं यदि उनके डॉक्टर ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के अनुरूप फिटनेस सर्टिफिकेट देवें तभी वे आवेदन करें। प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र/वनमंडल हेतु स्वयंसेवकों की अधिकतम संख्या निर्धारित है एवं प्राप्त समस्त आवेदनों में से सीमित संख्या में उपयुक्त क्षमता वाले स्वयंसेवकों को ही आंकलन अवधि में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। स्वयंसेवकों के आंकलन दिवस के दो दिवस पूर्व उपस्थित होने के उपरांत यदि किसी अधिकारी को प्रतीत होता है कि स्वयंसेवक की क्षमताएं आंकलन गतिविधि में भाग लेने के अनुकूल नहीं है तो वह उपस्थिति उपरांत भी स्वयंसेवक को भाग लेने से रोक सकेगा।

इच्छुक भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, वे इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र, नियम, हानिरक्षा बंध पत्र आदि को ठीक से पढ़ने उपरांत हस्ताक्षर कर 15 जनवरी 2018 तक टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, राष्ट्रीय उद्यानों के डायरेक्टर एवं क्षेत्रीय/वन्यप्राणी वनमंडलों/राज्य वन विकास निगम मंडलों के मंडल प्रबंधक/ वनमंडलाधिकारी को ईमेल द्वारा प्रेषित करें।

स्वयंसेवकों हेतु आवेदन
Application form for Volunteers

1. आवेदक का नाम
   Name of applicant : ....
2. आवेदक के पिता / पति / अभिभावक का नाम
   Applicant's Father/Husband/ Guardian's Name : ....
3. जन्मतिथि
   Date of Birth : ....
4. शैक्षणिक योग्यता
   Educational Qualification : ....
5. आवेदक का वर्तमान कार्य
   Applicant's present job
   (सही पर टिक लगावें) : (विद्यार्थी / शिक्षक / शासकीय कर्मी / अन्य..................................)
   (Student/Teacher/Govt. Job/Others ....)
6. आवेदक का वर्तमान पता
   Applicant's present address : ....
   ....
   ....
7. ईमेल आईडी
   E-mail ID : ....
8. मोबाइल नंबर / दूरभाष
   Mobile Number/Telephone : ....
9. पूर्व में वन्यप्राणी गणना, वनों में ट्रेकिंग / केम्पिंग आदि का अनुभव (यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करे।)
   Previous experience of wildlife estimation, trakking/camping in jungle, (if any, please submit certificate). : ....
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....
10. डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट (संलग्न करें।)
    Fitness certificate provided by M.O. : ....
11. यदि किसी बीमारी का उपचार चल रहा हो एवं उस हेतु नियमित तौर पर दवाएं लेना आवश्यक हों तो उसका विवरण
    If undergoing treatment and some medicines are required on daily basis. details thereof. : ....
    ....
    ....
    ....
    ....
12. कड़ी मेहनत / तनाव के कारण घटित हो सकने वाले किसी व्याधि का पूर्व इतिहास
    Any history of some disease which may occur due to heavy work/tension etc. : ....
    ....
    ....

स्थान Place :

दिनांक Date :

हस्ताक्षर Signature ....

नाम Name ....

RULES FOR VOLUNTEER

1. The volunteer should not enter the Tiger Reserve/ Forest unauthorised.
   स्वयंसेवक बिना वैध अनुमति के टाइगर रिजर्व/वन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
2. The volunteer should not enter the tiger reserve/forest with any kind of weapon.
   स्वयंसेवक किसी भी प्रकार का हथियार लेकर टाइगर रिजर्व/ वनक्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
3. The volunteer should not carry or use any cigarettes, e-cigarettes, alcohol or inflammable lighting materials (fire match-crackers, match box, lighters, Zippos). He/she will not light/kindle any fire in the tiger reserve/forest.
   स्वयंसेवक टाइगर रिजर्व/वनक्षेत्र में सिगरेट, ई–सिगरेट, मदिरा, ज्वलनशील सामग्री (जैसे पटाखा माचिस, फटाके, लाइटर आदि) लेकर प्रवेश अथवा उपयोग भी नहीं करेगा।
4. The volunteer should not play any musical instrument, or carry head phones, earphones, or mobile phones during the wildlife estimation.
   स्वयंसेवक किसी भी प्रकार का संगीत उपकरण, हेडफोन, इयरफोन एवं मोबाइल फोन आदि का उपयोग वन्यप्राणी आंकलन के दौरान नहीं करेंगे।
5. The volunteer should not disturb or remove any materials including plants, grass, stones, animals and animal products from the Tiger Reserve/Forest.
   स्वयंसेवक पेड़–पौधों, घास, पत्थर, वन्यप्राणी एवं वन्यप्राणियों के अवयवों सहित टाइगर रिजर्व/वन क्षेत्र की किसी सामग्री को न ही उसके स्थान से हटाएगा और न ही उन्हें छेड़ेगा।
6. The volunteer is not allowed to carry cameras, videography devices or any other photography devices during the estimation exercise.
   स्वयंसेवक को टाइगर रिजर्व/ वनक्षेत्र में कैमरा, वीडियोग्राफी उपकरण और अन्य फोटोग्राफी उपकरणों को वन्यप्राणी आंकलन के दौरान साथ रखने की अनुमति नहीं होगी।
7. The volunteer is bound to follow any instructions given by forest officials and expected to be in discipline.
   स्वयंसेवक वन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा एवं अनुशासन में रहेगा।
8. The volunteer has to attend the compulsory training given by the forest department which will usually be conducted a day before the estimation process in the area. If he/she fails to attend the same, he/she will not be eligible to participate as a volunteer.
   स्वयं सेवक को वन विभाग द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है जो सामान्यतः वन्यप्राणी आंकलन के एक दिन पूर्व आयोजित किया जावेगा। यदि वह इस प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ रहता है तो वह आंकलन प्रक्रिया में स्वयंसेवक के रूप में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।
9. The volunteers are expected to stay in the allotted camp as directed by the Forest officials, for all 3 days continuously. The volunteers are supposed to carry their own sleeping bags and they have to stay with minimal basic amenities in the camp.
   स्वयंसेवक से अपेक्षा होगी कि वह वन अधिकारियों द्वारा निर्धारित कैम्प में 3 दिवसों तक निरंतर मुकाम करेगा। स्वयंसेवकों को अपना स्लीपिंग बेग स्वयं लाना होगा तथा केम्प में अत्यंत न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं के साथ रहना होगा।
10. In each beat only one volunteer will be allotted. So in each camp only one volunteer stay with forest staff.
    प्रत्येक बीट में केवल एक स्वयंसेवक ही आवंटित किया जाएगा। अतः प्रत्येक केम्प में वनकर्मियों के साथ केवल एक वॉलेन्टियर ही रहेगा।
11. The volunteer is expected to stay within the camp premises and shall not move outside without the local staff.
    स्वयंसेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे केम्प क्षेत्र में ही निवास करेगा एवं वनकर्मियों की अनुमति के बिना बाहर नहीं जाएगा।
12. In addition to above rules, the Chief Wildlife Warden or the officer in-charge of the protected area/ territorial division can impose additional condition at any time.
    मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक या संरक्षित क्षेत्र/क्षेत्रीय वनमंडल के भारसाधक अधिकारी उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकते हैं।
13. The Forest Department/Tiger Reserve management have complete authority to debar any volunteer in an event of misbehaviour/ misconduct.
    वन विभाग/ संरक्षित क्षेत्र/क्षेत्रीय वनमंडल प्रबंधन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी स्वयंसेवक को कदाचित दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार करने पर बाघ आंकलन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

स्थान Place :

दिनांक Date :

हस्ताक्षर Signature ....

नाम Name ....

अखिल भारतीय बाघ एवं अन्य वन्यप्राणी आंकलन 2018 में सम्मिलित होने वाले स्वयंसेवकों हेतु हानि रक्षा बंधन पत्र.

Indemnity Bond form for the Volunteers Participation in All India Tiger and other wild animals Estimation 2018

वनमंडल का नाम .... वन वृत्त ....

1. मैं ....उम्र .... निवासी ....स्वेच्छा से वन्यप्राणी आंकलन वर्ष 2018 में स्वयंसेवक के रूप में भाग लेना चाहता/चाहती हूं। इस फॉर्म के साथ संलग्न पृष्ठ पर दर्ज समस्त नियमों को मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ। मुझे यह ज्ञात है कि इन नियमों तथा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) एवं उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता/करती हूं तो मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

1. I ______________________________ age ____________ resident of ______________________________ am willing to participate in All India Tiger & other wildlife estimation 2018. I have read and understood all the rules mentioned in the attached form and assure to abide by them. I am aware of the fact that if I violate any provisions of the rules and the Wildlife (Protection) Act, 1972, (Read the subsequent amendments) or rules under the act, I am liable for legal action.

2. मैं वन क्षेत्र में हो सकने वाले सभी संभावित खतरों जैसे दुर्घटनाएं, आग एवं वन्यप्राणियों द्वारा हमला आदि से अवगत होते हुए अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर वन क्षेत्र में वन्यप्राणी आंकलन हेतु प्रवेश कर रहा/रही हूं।

2- I am well aware about all the possible dangers like accident, fire, wild animal attack etc. and I am entering the forest at my own risk for wildlife estimation.

3- मैं .... दिवसीय प्रवास के दौरान (...................... से ....तक) की अवधि में मेरे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर मध्य प्रदेश वन विभाग एवं उसके समस्त अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी तरह के मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने से मुक्त करता/ करती हूं।

3- I hereby Indemnity Madhya Pradesh Forest Department and its officials against any claims of compensation in the event of any accident or mishaps during my ....days stay (from ....to ....).

स्थान Place :

दिनांक Date :

स्वयंसेवक के हस्ता. Signature of Volunteer

पूर्ण पताComplete Address : -------------------------

Mobile No. : ....,

E-mail ID : ....

ID details ....

(please attach a photocopy of the same)

AITE-2018 आंकलन के फेस–1 हेतु विस्तृत टाइम प्लान

क्र.	जोन नाम	चक्र–1 में आने वाले टाइगर रिजर्व / वनमंडल/ परियोजना मंडल (5 से 11 फरवरी 2018)	चक्र–2 में आने वाले टाइगर रिजर्व / वनमंडल/ परियोजना मंडल (18 से 24 फरवरी 2018)	चक्र–3 में आने वाले टाइगर रिजर्व / वनमंडल/ परियोजना मंडल (09 से 15 मार्च 2018)	चक्र–4 में आने वाले टाइगर रिजर्व / वनमंडल/ परियोजना मंडल (20 से 26 मार्च 2018)
1	कान्हा	कान्हा (182), मोहगांव प्रोजेक्ट (64), कुण्डम प्रोजेक्ट (37)	उत्तर बालाघाट (165), पूर्व मंडला (101)	दक्षिण बालाघाट (207), लामटा प्रोजेक्ट (63)	पश्चिम मंडला (139), जबलपुर (124)
2	पेंच	पेंच (109), दक्षिण सिवनी (109), नरसिंहपुर (108)	उत्तर बैतूल (145), पश्चिम छिंदवाड़ा (163), छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट (22)	दक्षिण बैतूल (200), दक्षिण छिंदवाड़ा (139)	उत्तर सिवनी (129), पूर्व छिंदवाड़ा (173), बरघाट परियोजना (57)
3	सतपुड़ा	सतपुड़ा टा.रि. (186), पश्चिम बैतूल (122)	औबेदुल्लागंज (152), होशंगाबाद (138), सीहोर परियोजना मंडल (13)	सीहोर (127), विदिशा (123), भोपाल (44), रामपुर–भतौड़ी (33)	रायसेन (154), हरदा (127), विदिशा परियोजना (31),
4	बांधवगढ़	बांधवगढ़ टा.रि. (139), संजय टा.रि. (138), सीधी (58)	उ.शहडोल (102) उमरिया (92), अनूपपुर (104), **उमरिया परि.मंडल. (43),** रीवा–सीधी परि.मंडल (22),	डिंडोरी (180), सिंगरौली (171),	कटनी (115), रीवा (96), दक्षिण शहडोल (119),
5	पन्ना	पन्ना टा.रि. (142), सतना (150),	छतरपुर (164), दक्षिण पन्ना (147),	दमोह (189), नौरादेही (98)	दक्षिण सागर (136), उत्तर पन्ना (72), उत्तर सागर (106),
6	कूनो	कूनो पालपुर (134), माधव रा.उ. (41), अशोक नगर (62), भिण्ड (29)	टीकमगढ़ (116), ग्वालियर (103), दतिया (41),	श्योपुर (134), गुना (139),	शिवपुरी (196), मुरैना (61),
7	उज्जैन	देवास (234), इंदौर (99), बड़वानी (65),	राजगढ़ (29), मंदसौर (43), खण्डवा (260), रतलाम (42), शाजापुर (24), उज्जैन (18)	नीमच (92), खण्डवा परियोजना (64), खरगौन (102), बुरहानपुर (165),	धार (97), झाबुआ (90), अलीराजपुर (104), बड़वाह (75), सेंधवा (65),

टीपः 1.जबलपुर वनमंडल को बांधवगढ़ जोन से हटाकर कान्हा जोन में शामिल किया गया है।
2. वनमंडल के नाम के सामने कोष्ठक में उनकी बीटों की संख्या दर्ज है।